Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JULY-AUG, 2018, VOL- 6/46

'बाल श्रम एवं अन्तःक्षेप कार्यक्रम'

(असंगठित क्षेत्र के बालश्रमिकों के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन)

मोनिका उपाध्याय

(शोध छात्रा),गृह विज्ञान संस्थान, बेसिक साइन्स खन्दारी, आगरा

(सम्बद्ध : डॉ0 बी0आर0ए0 विश्वविद्यालय, आगरा)

Abstract

समकालीन भारतीय समाज में बाल श्रम की समस्या, एक जटिल आर्थिक–सामाजिक समस्या है। खेदजनक है कि स्वतंत्रता–प्राप्ति के लगभग 70 वर्षों के बाद भी राष्ट्र की अनमोल निधि एवं भावी पीढ़ी 'बालश्रमिक' के रूप में शोषण का शिकार है। बालश्रमिक अल्पायु में ही रोजगार की खतरनाक (जोखिमभरी) परिस्थितियों में कई–कई घण्टों काम (श्रम) करने के बाद अल्प वेतन पाते हैं। शिक्षा को छोड़ने के लिए बाध्य होकर अपनी आयु से कहीं अधिक दायित्वों को मजबूरी में निभाते हैं। उस आयु में दुनियादार बनकर ; जबकि उनकी आयु–समूह के अन्य बालकों को अपने माता–पिता/संरक्षक की सुरक्षा के कवच को छोड़ना बाकी है; वे कभी भी नहीं जान पाते कि बचपन क्या होता है? 'भारतीय संविधान' में स्पष्ट है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक/बालिका को किसी काम पर या किसी जोखिम वाले रोजगार/कार्य में नियुक्त नहीं किया जायगा ; बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था को शोषण एवं नैतिक तथा भौतिक परित्यक्ता से बचाया जायेगा, जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, तब तक उन्हें राज्य द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करने का प्रयास किया जायेगा।

*'**भारतीय संविधान**' में यह प्रतिष्ठापित है कि : ● चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए; या किसी जोखिम वाले रोजगार में नियुक्त नहीं किया जायेगा **(धारा 24)** ● बाल्यावस्था और किशोरावस्था को शोषण व नैतिक एवं भौतिक परिव्यक्ता से बचाया जायेगा **[धारा : 39 (क)]** ● तथा जब तक बालक 14 वर्ष की आयु को समाप्त नहीं कर लेते ; राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का प्रयत्न करेगा **(धारा 45)**। बावजूद इसके अनेकों बालक–बालिकाएं आजीविका के लिए कार्यरत हैं। इस सन्दर्भ में **'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO)** का मानना है कि बालश्रमिक अपने बचपन, क्षमता और प्यार से वंचित रहते हैं; साथ ही उनका जीवन शारीरिक व मानसिक कठिनाईयों से भरा रहता है। 'जनगणना : 2011' के अनुसार उ0प्र0 में 5 से 14 वर्ष के बालश्रमिकों की संख्या 25.4 लाख एवं 15 से 19 वर्ष वय के बालश्रमिकों की संख्या 61 लाख पायी गयी जबकि वर्तमान में यह संख्या सवा गुनी है ; जो एक राज्य के विकास के लिए घातक है इसके समाधान के प्रयास किए जाने चाहिए (labour.gov.in/census-data-on-child), अन्यथा की स्थिति में राष्ट्र की भावी धरोहर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अविकसित ही नहीं होगी, अपितु राष्ट्रीय विकास की धारा में अवरोध जनित हो जायेगा। यद्यपि इस गम्भीर समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समय–समय पर विभिन्न अधिनियम, यथाः बाल रोजगार अधिनियम 1938, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986, आर0टी0ई0 एक्ट 2009 तथा बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं नियमन एक्ट : 2016 पारित किए गए हैं; लेकिन परिणाम वही है 'ढ़ाक के तीन पात'। 'संशोधित अधिनियम 2016' बालश्रमिकों के शैक्षिक तथा आर्थिक पुनर्वासन पर बल देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(क) के अन्तर्गत समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। इन अधिनियमों व कानूनों के बावजूद भी देश में बाल श्रम के अभिशाप को दूर करने के लिए अनेक सहायता कार्यक्रम [यथाः चाइल्ड पुलिस सर्विस 1098, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बचपन बचाओ आन्दोलन (बी0बी0ए0), सेव द चिल्ड्रन, यूपीडैस्को, ग्लोबल मार्च अंगेस्ट चाइल्ड लेबर, बालश्रमिक विद्यालय योजना आदि] संचालित है, ये विभिन्न कार्यक्रम; अपने–अपने विशिष्ट कार्य कलापों द्वारा बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों को 'अन्तःक्षेपी कार्यक्रम* (Intervention Programmes) कहते हैं।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रस्तुत शोध–प्रपत्र असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के अन्तर्गत घरों, चाय की दुकानों, गैराजों, ढ़ाबों आदि कार्योजन स्थलों पर श्रमिक रूप में जीविकोपार्जन के लिए असामान्य परिस्थितियों में काम करने वाले बालश्रमिकों तथा अन्तःक्षेपी कार्यक्रमों की भूमिका पर आधारित है। इस शोध–समस्या का चयन इसलिए किया गया क्योंकि संगठित क्षेत्र के बालश्रमिकों के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न दृष्टिकोणों से काफी अध्ययन सम्पादित हुए हैं लेकिन 'असंगठित क्षेत्र' के बालश्रमिकों की समस्याओं पर 'अनुभवाश्रित अध्ययन' (Empirical Studies) अत्यन्त कम सम्पादित हए हैं; जो तुलनात्मक अधिक प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण हैं।

बाल श्रम व अन्तःक्षेपी कार्यक्रमों से सम्बन्धित पूर्ववर्ती अध्ययन :

'यूपीडेस्को[1]' की टीम द्वारा उत्तर प्रदेश में बाल श्रम सर्वेक्षण क्रमशः 2001 तथा 2010 में ''डोर टू डोर सर्वे'' करा कर रहस्योद्घाटन किया कि बालश्रमिकों की संख्या 2001 से 1,927,997 थी जबकि 2010 में 1,775,333 पायी गयी। इन आँकड़ों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी भी हमारे देश में 'बाल श्रम' विद्यमान है जिससे मासूमों का भविष्य गर्त में जा रहा है जो राष्ट्र की अनमोल निधि हैं। जिसके कारण गरीबी, अशिक्षा तथा माता–पिता की अज्ञानता हैं। बालश्रमिकों की पढ़ाई के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के तहत बालश्रमिक विद्यालयों की स्थापनाएं की गयी हैं जो सभी श्रमिक बस्तियों में संचालित हैं। **'सेव द चिल्ड्रेन'[2]** नामक संस्था ने 2007 में कारगिल तथा लेह के 103 बच्चों का चयन कर जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी और इन घरेलू बालश्रमिकों के 21 परिवारों को भी सम्मिलित किया तथा अध्ययन में पाया कि घरेलू बालश्रमिकों में लड़कियों की संख्या अधिक थी। **आई0एल0ओ0[3] (2011)** ने पश्चिमी बंगाल के शहरी क्षेत्र के घरेलू श्रमिकों के अध्ययन म 908 बच्चों को अध्ययन इकाई के रूप में रखा; इनमें से 25% निदर्श आधार पर 227 इकाईयाँ घरेलू कार्य करने वाली चुनकर अध्ययन किया तो अधिकाँशतः 10 से 15 वर्ष की लड़कियाँ पायी गयीं जो 300 से 500 रू0 न्यून मासिक वेतन पर वर्तन तथा झाड़ू–पोंछा

***** अन्तःक्षेपी कार्यक्रमों की शुरूआत सर्वप्रथम 'संयुक्त राज्य अमेरिका' के 'सेवा स्वास्थ्य विभाग' द्वारा सन् 1965 में 'जूले सुगरमेन्न' द्वारा ''हैडस्टार्ट'' नाम से की गयी थी, जो श्रमिक बच्चों व उनके परिवारों को आर्थिक मदद करती थी ताकि उनके स्तर मे सुधार आ सके, और वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। प्रतिफल स्वरूप सन् 1981 में हैडस्टार्ट अधिनियम बना दिया गया [https//en.m.wikipedia.org/head-start…] इन अन्तर्क्षेपी कार्यक्रमों द्वारा लोगों के विचारों, भावनाओं तथा व्यवहारों में बदलाव लाया जाता है ताकि समस्या का समाधान सम्भव हो सके। इन कार्यक्रमों में सरकारी तथा गैर–सरकारी कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। ये सरकार की नीतियों से अवगत कराने तथा जन जागरूकता के कार्य करते हैं। इस रूप में ये कार्यक्रम बच्चों के भविष्य को बचाने में महत्वपूर्ण तथा प्रभावी भूमिका निभाते हैं।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(साफ–सफाई) के कार्य करती पायी गयीं जो कभी स्कूल नहीं गयीं क्योंकि निर्धन परिवारों की थीं। **तिवारी[4] (2005)** ने 'चाइल्ड लेबर इन फुटवीयर इण्डस्ट्री : पौसीबिल ऑकूपेशनल हैल्थ हैजार्ड्स' पर आनुभविक अध्ययन में पाया कि इन उद्योगों में बालश्रमिकों की संख्या बहुत अधिक थी जो प्रायः गोदामों तथा घरों में कार्य कर रहे थे; जिससे इनका स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हो रहा था। **द्विवेदी एस[5] (2014)** ने अपने अध्ययन "The Causes to be a Child Labourer" में पाया कि बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है, जबकि सहायक कारण अशिक्षा तथा अजागरूकता है। परिवारों व माता–पिता के सर्वेक्षण में पाया कि 75% से अधिक बी0पी0एल0 समूह के पिछड़े वर्गों के हैं अथवा अनुसूचित जिनकी शिक्षा का स्तर न्यूनतम या बिल्कुल नहीं था तथा आर्थिक स्थितियाँ भी दयनीय थीं। अध्ययन किए गए 250 बालश्रमिकों में से 27% बालश्रमिक स्कूल कभी नहीं गए जबकि 50% स्कूल में दाखिल तो हुए लेकिन अर्थाभाव तथा मन न लगने के कारण स्कूल जाना छोड़ दिए। माता–पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय; काम पर भेजना अधिक पसन्द करते थे ताकि परिवार की कुछ आर्थिक सहायता सम्भव हो सके। **देहेजिया एण्ड राजीव[6] (2005)** के प्रकाशित आर्टीकल से जानकारी प्राप्त हुयी कि बाल श्रम 'गरीबी' के कारण बढ़ रहा है; साम्प्रत केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरों पर बाल श्रम उन्मूलन हेतु अनेक अन्तःक्षेप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि इसे रोकने में सहायता मिल सके; जबकि कुछ कार्यक्रम इन्हें आथिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं; ताकि इनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

प्रस्तुत अनुभवजन्य अध्ययन **'निम्न उद्देश्यों की पूर्ति'** हेतु सम्पादित किया गया है :

(1) असंगठित क्षेत्रान्तर्गत काम करने वाले बाल श्रमिकों की समाजार्थिक स्थिति व कार्य कलापों की जानकारी करना।

(2) बाल कार्यों की प्रकृति तथा बाल श्रम के कारणों का अध्ययन करना।

(3) बालश्रमिकों की कार्य–स्थितियाँ तथा उन्हें होने वाली बीमारियों का अध्ययन करना।

(4) अन्तःक्षेपी कार्यक्रमों से बाल श्रम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर समस्या– समाधान हेतु सझाव प्रस्तुत करना।

पद्धतिशास्त्र (Methodology) :

चूँकि असंगठित क्षेत्रान्तर्गत (घरों, गोदामों, ढ़ाबों, चाय की दुकानों, फेरी वाले, चिथड़े उठाने वाले) कार्यशील बच्चों की संख्या बहुत लेकिन अनभिलिखित (Un-recorded) होती हैं; अतः इनकी जानकारी करना जटिल कार्य साबित हुआ। इसके लिए शोधार्थिनी ने शोध हेतु चयनित जिलों आगरा तथा फिरोजाबाद नगर परिक्षेत्र (सीमान्तर्गत) से 2–2 अर्थात् कुल 4 पंजीकृत मलिन बस्तियों में "डोर टू डोर सर्वे" करके 'उद्देश्यपूर्ण विधि से' कुल 150 बाल श्रमिकों (जिनकी आयु 5 वर्ष से अधिक तथा 14

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

वर्ष से कम थी) चिन्हित कर; इन सभी को अध्ययन की इकाई मानते हुए 'साक्षात्कार अनुसूची' विधि से पूछताछ कर व्यक्तिगत अध्ययन करते हुए प्राथमिक तथ्य संकलित किए हैं।

तथ्यों का साँख्यकीय विश्लेषण तथा निर्वचन : तालिका नं0 (1) : ''वैयक्तिक पृष्ठभूमि तथा बाल कार्य''

1	लिंग–भेद	बालक 58(38.67)	बालिकाएं 92(61.33)	–	–	समस्त (%) 150(100.00)
2	आयु–समूह	8 वर्ष से कम 09(06.00)	8–10 वर्ष 30(20.00)	– 10–12 वर्ष 35(23.33)	– 12–14 वर्ष 76(50.67)	समस्त (%) 150(100.00)
3	कार्यशील–क्षेत्र	घरेलू कार्य 80(53.34)	गोदाम 31(20.67)		अन्य 02(01.33)	समस्त (%) 150(100.00)
4	जाति / वर्ग	सवर्ण 40(26.67)	पिछड़ी 78(52.00)	ढ़ाबा, चाय दु0 37(24.66)	अन्य 00(00.00)	समस्त (%) 150(100.00)
5	आर्थिक स्तर (परिवार)	मध्यम 15(10.00)	मध्यम–निम्न 25(16.67)	अनुसूचित 32(21.33)	बी0पी0एल0 35(23.33)	समस्त (%) 150(100.00)
6	शिक्षा–स्तर	अशिक्षित 115(76.67)	प्रायमरी फेल 25(16.67)	निम्न 75(50.00) प्रायमरी 10(06.66)	अन्य 00(00.00)	समस्त (%) 150(100.00)

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट है कि अध्ययनार्थ चयनित असंगठित क्षेत्रान्तर्गत कार्यशील बालश्रमिकों में 38.67% बालक तथा 61.33% बालिकाएं पाये गये हैं; जिनमें 26% बालश्रमिक 10 वर्ष से कम आयु तथा 74% बालश्रमिक 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग के पाए गए हैं जिनमें 53.34% घरेलू कार्यों, 20.67% गोदामों, 24.66% ढ़ाबों व चाय की दुकानों तथा 1.33% फेरी व कूड़ा करकट से उपयोगी वस्तुएं बीनने वाले; इनमें जाति सापेक्ष विवरण के अनुसार 73.33% अर्थात् लगभग तीन–चौथाई पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति वर्ग के हैं ; इनमें शिक्षा सापेक्ष वितरण के अनुसार 76.67% अशिक्षित, 16.67% प्रायमरी फेल अर्थात् 93.34% श्रमिक अत्यन्त कम पढ़े–लिखे पाए गए हैं। इनमें से 90% बालश्रमिक मध्यम–निम्न, निम्न तथा बी0पी0एल0 परिवारों / आर्थिक स्तर वाले हैं। निष्कर्षतः (1) अधिकाँशतया बालश्रमिकों को अधिक पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि वे कर्तव्यपरायण होते हैं इसलिए उनका शोषण तथा उत्पीड़न सरलता से किया जा सकता है, (2) असंगठित क्षेत्रो में मालिकों द्वारा बालश्रमिकों को वरीयता इसलिए भी दी जाती है, क्योंकि इनको नौकर रखने से तुलनात्मक रूप से (कानूनों से) कपट से बचना अधिक सरल होता है, निरीक्षण किए जाने के दौरान बच्चों को छुपाया जा सकता है; उनकी आयु उन्हें नौकरी के पात्र करने के लिए मनमाने ढ़ंग से बढ़ा दी जाती है एवं कभी चालाकी से उम्र कम दिखा दी जाती है ताकि उन्हें बैध मजदूरी से वंचित कर सकें।

'बालश्रम' एक अत्यन्त पेचीदा विषय है क्योंकि भारत में 40% से भी अधिक परिवार घोर दरिद्रता की स्थितियों में जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में 'काम' का विकल्प बेरोजगारी, गरीबी या इससे भी अधिक खराब विकल्प अपराध है। यह निर्विवाद सत्य है कि ''बाल श्रम

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

का सम्पूर्ण उन्मूलन दुष्कर है क्योंकि सरकार उन्हें पर्याप्त वैकल्पिक नौकरियाँ उपलब्ध नहीं करा सकती।''[7] परन्तु समाज वैज्ञानिकों के अनुसार 'बाल श्रम' का प्रमुख कारण गरीबी है।[8] लेकिन शोधार्थिनी की मान्यता है कि 'बाल श्रम' सस्ते मजदूर पाने के लिए निहित स्वार्थों के कारण जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है। निम्न तालिका सर्वेक्षण से प्राप्त 'बाल श्रम के कारणों' पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :

तालिका नं0 (2) : बाल श्रम के कारण एवं दुष्प्रभाव : बालश्रमिकों के अनुसार

क्रमाँक	बालश्रम के लिए उत्तरदायी कारण	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	गरीबी	124	82.67
2	बेरोजगारी	17	11.33
3	अज्ञानता	9	06.00
समस्त		150	100.00

तालिका से स्पष्ट है कि 82.67% बालश्रमिक सूचनादाताओं के अनुसार बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है तथा बेरोजगारी व अज्ञानता सहायक कारण हैं। निष्कर्षतः बाल श्रम हेतु केवल गरीबी ही नहीं बल्कि एकाधिक कारक उत्तरदायी हैं। बालश्रमिकों के अनुसार प्रायः खून की कमी, टी0बी0, कमर दर्द आदि और जोखिम भरी अमानुषिक स्थितियों व अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करने से फेंफड़ों की बीमारियाँ, तपेदिक, आँख रोग, अस्थमा, ब्रौन्काइटिस आदि बीमारियाँ हो जाती हैं और यदि वे जख्मी अथवा काम करने लाइक नहीं रह जाते हैं; तो उन्हें नियोक्ता/मालिकों द्वारा निर्दयतापूर्वक उससे भी निकाल दिया जाता है। ऐसी दर्दभरी स्वीकारोक्तियाँ बालश्रमिकों ने स्वयं की हैं। निम्न तालिका नं0 (3) बाल श्रम उन्मूलन तथा बालश्रमिकों के कल्याण के सन्दर्भ में अन्तःक्षेप कार्यक्रमों (जो अध्ययन क्षेत्र में संचालित/ क्रियान्वित हैं) द्वारा निर्वाह की जा रही विभिन्न भूमिकाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालती हैं :

तालिका नं0 (3) : बाल श्रम उन्मूलन तथा बालश्रमिकों के कल्याणार्थ क्रियान्वित अन्तःक्षेप कार्यक्रमों के माध्यम से निर्वाह की जा रही भूमिकाओं के प्रति निदर्श बालश्रमिकों के अभिमत

क्र0	अन्तःक्षेप कार्यक्रमों के माध्यम से निर्वाह की जा रहीं विभिन्न भूमिकाएं	सूचनादाताओं के अभिमत (आवृत्तिया/%)			समस्त (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	कह नहीं सकते	
1	बी0पी0एल0 परिवारों हेतु निर्धनता उन्मूलन की आर्थिक विकास योजनाओं के प्रति श्रमिक परिवारों को अवगत कराना	92 (61.33)	10 (06.67)	48 (32.00)	150 (100.00)
2	''बाल श्रम निषिद्ध है''–के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाना	110 (73.33)	15 (10.00)	25 (16.67)	150 (100.00)
3	बाल श्रम एक सामाजिक बुराई तथा अभिशाप है, के प्रति समाज में जागृति जनित करना	120 (80.00)	– (00.00)	30 (20.00)	150 (100.00)
4	बालकों को शिक्षा दिलाने के लिए, श्रमिक परिवारों को प्रेरित करना	125 (83.33)	20 (13.33)	05 (03.34)	150 (100.00)
5	बाल श्रम से पड़ने वाले दुष्प्रभावों स भारतीय समाज में बाल श्रम की वास्तविक स्थिति (?) से जन सामान्य को अवगत कराना	97 (64.67)	41 (24.33)	12 (08.00)	150 (100.00)
6	बाल श्रम के प्रति लोगों के विचारों, भावनाओं तथा व्यवहारों में परिवर्तन लाने के प्रयास करना	108 (72.00)	– (00.00)	42 (28.00)	150 (100.00)
7	बाल श्रम उन्मूलन हेतु कानूनों, विधिक जानकारियों	99	31	20	150

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

	एवं सरकारी नीतियों से जनमा को अवगत कराना	(66.00)	(20.67)	(13.33)	(100.00)
	राष्ट्र की अनमोल निधि (धरोहर) बालक/				
8	बालिकाओं को बाल श्रम करने/कराने से बचाना	107	43	–	150
	'सर्वशिक्षा अभियान/शिक्षा का अधिकार एक्ट' से	(71.33)	(28.67)	(00.00)	(100.00)
	श्रमिक परिवारों को अवगत कराना				
9	बाल श्रम करते बालकों को प्रतिष्ठान मालिकों से	118	32	–	150
	मुक्त कराने सम्बन्धी विभिन्न भूमिकाएं निर्वाह	(78.67)	(21.33)	(00.00)	(100.00)
10	करना/कराना	95	27	28	150
	बालश्रमिकों के परिजनों के दृष्टिकोण बालकों को	(63.33)	(18.00)	(18.67)	(100.00)
	शिक्षा दिलाने की ओर परिवर्तित करने के प्रयास				
11	करना इत्यादि	102	33	15	150
		(68.00)	(22.00)	(10.00)	(100.00)

प्रसंगाधीन तालिका नं0 (3) के स्तम्भ ''हाँ'' की प्रतिशतताएं जो कि सभी 60% से अधिक हैं; यह स्पष्ट करती हैं कि बाल श्रम उन्मूलन तथा बालश्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न अन्तःक्षेपी कार्यक्रम भाँति–भाँति की विभिन्न सकारात्मक भूमिकाएं निर्वाह कर रहे हैं; जो विधिक एवं व्यवहारिक दोनों तरह की हैं। सरकार का मानना है कि बाल श्रम को बिल्कुल समाप्त करना सरल नहीं है। इसलिए कानूनी रूप से कार्य करने की स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया है यथाः काम के घण्टों को कम करना, न्यूनतम मजदूरी तथा स्वास्थ्य व शिक्षा दिलाना सुनिश्चित करना। 'राष्ट्रीय नीति' तीन उपादानों : (1) कानूनी कार्यवाही जो सार्वजनिक कल्याण पर केन्द्रित है, (2) बालश्रमिकों, और उनके परिवारों के लिए विकास कार्यक्रम तथा (3) अन्तःक्षेप कार्यक्रम; पर आधारित है। साथ ही 'चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एण्ड रेगुलेशन एक्ट' 1986 के बनने से यह आशा जागृत हुई थी कि बालश्रमिकों के भाग्य सुधरेंगे; लेकिन असंगठित क्षेत्र के बालश्रमिकों के लिए यह अधिनियम जो राष्ट्रीय नीति का एक आवश्यक अंग था; निरर्थक सिद्ध हुआ है। शोध छात्रा का मानना है कि इस कानून की अनुपालना (Compliance) सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है कि इसके उल्लंघन की सजा को Child Labour Prohibition Correctional Act 2016 की परिपालना के अनुरूप और भी अधिक कठोर बनाया जाय; और कानून व परिनियमों की अनुपालना में प्रभावी प्रवर्तन (Enforcement) मशीनरी को और भी अधिक सख्त व सक्रिय करते हुए; अधिकाधिक 'औचक निरीक्षण' कराए जाँय ताकि नियोक्ताओं में भय का वातावरण बन सके। इसके लिए आवश्यक है कि श्रम विभाग के निरीक्षकों तथा इनसे सम्बन्धित सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के साथ–साथ 'आयु सत्यापन' (Age Verification) को जन्म–पंजीकरण की एक प्रभावी प्रणाली से संलग्न किया जाय।

बच्चों को मजदूरी करनी पड़े; यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह पूर्णतया अस्वीकार्य है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। बाल श्रम की समस्या के समाधान का तब तक के लिए भी नहीं टाला जा सकता जब तक कि आर्थिक स्थितियों और सामाजिक संरचनाओं में मूलभूत सुधार हो जाय। अल्प वेतन के लिए घंटों काम करते हुए ये छोटे बच्चे 'शोषण' को जीवन जीने का तरीका (Way of Life) मान लेते हैं जो दुखद है। उनके चेहरों पर

शोषण का मौन अनुमोदन स्पष्ट झलकता है जो नहीं झलकना चाहिए। इसी के समाधान की परिणिति हैं, 'अन्तःक्षेप कार्यक्रम एवं उनकी भूमिकाएं'।

सन्दर्भ–सूची (References) :

'यूपीडेस्को' (उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कॉरपोरेशन) उ0प्र0 शासन, लखनऊ, बालश्रमिक परिवारों के फिरोजाबाद जिला का सघन सर्वेक्षण प्रतिवेदन:2001 तथा 2010

सेव द चिल्ड्रन : ए स्टडी ऑफ द लाइब्स ऑफ चाइल्ड डोमेस्टिक वर्क्स इन लेह एण्ड कारगिल, रिसर्च एब्स्ट्रेक्ट ऑन चाइल्ड लेबर, पृष्ठ 19–20, 2007

'इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन' रिपोर्ट ऑन डोमेस्टिक लेवर्स वर्किंग इन वैस्ट बंगाल, 2011

तिवारी आर0आर0 ; चाइल्ड लेबर इन फुटवीयर इण्डस्ट्री : पॉसीबिल ऑकूपेशनल हैल्थ हैजार्ड्स (रिव्यू आर्टीकिल), वॉल्यूम 9(1), पृष्ठ 7–9, 2005

द्विवेदी एस0 ; द कॉजेस टू बी ए चाइल्ड लेबरर ; इण्टरनेशनल एजुकेशन ई–जर्नल, दिल्ली, वॉल्यूम 3(2), 2004

दहेजिया पी0 एण्ड राजीव एच0 ; चाइल्ड लेबर : द रोल ऑफ फाइनेन्शियल डेवलपमेण्ट एण्ड इनकम वैरियेबिलिटी रेक्रॉस कण्ट्रीज, 'जर्नल ऑफ इकॉनोमिक डेवलपमेण्ट एण्ड कल्चरल चेन्ज', वॉल्यूम 53(4), 2005, पृष्ठ 913–930

राम आहूजा; सामाजिक समस्याएं : 'बाल श्रम', रावत पब्लिकेसन्स, जयपुर (राज0), 2006, पृष्ठ 221

राम आहूजा, पूर्वोक्त, रावत पब्लिकेसन्स, जयपुर (राज0), 2006, पृष्ठ 221

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies